

फद अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : नावां सिटी,

नौरती देवी

बनाम :

जगदीश प्रसाद वर्मा

85.188, पत्रावली मु. नम्बर 103/2014

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए।
<p>13.8.14 वादी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जुरिफ सम्मन क्या हो। पत्रावली दिनांक 28.8.14 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)</p> <p>23-8/14</p> <p>14-10-14</p>	
<p>14 11/14 आज श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 5-11-14 को पेश हो</p>	
<p>14/11 पत्रावली पेश की। वकील साहिब 240 केसाप प्रतिवादी के कारिके - भावी कलेक्ट्रिस्ट 15/11/14 से 21/11 14 को पत्रावली पेश की गई। 18.12.14 को पेश हो</p>	
<p>18/12/14 पत्रावली पेश बाहर इन्सपेक्शन जे कहदीलेक्स कर कार्य स्थान का निवेदन किया पत्रावली इतनाक शेकर दिनांक 28.1.15 को पेश हो</p>	
<p>28/1 पत्रावली पेश की प्रतिवादीक लेखी सां (केके) को 19/12/14 पत्रावली पेश की 19/12/14 को पेश हो</p>	
<p>11 2/15 आज श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11-3-15 को पेश हो।</p>	
<p>11 3/15 आज श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 15-4-15 को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं
अहक
की त

16/7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी
स्वयं को बार-बार भवाज लगायी गई
जिसके बातशुद्ध अनुपस्थित रहे हैं।

अतः वाद वादी अदम हाजरी व
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है
पत्रावली फ़ैलत शुमार होकर दाखिल
दालत हो।

७म
उपखण्ड अधिकारी
नावा (नागौर)